116

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 2622 - I-16

प्र0क0 R .... I/15–16 निगरानी

श्री ओमप्रकाश शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 5.8.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र.

रामवीर पुत्र नत्थी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना ....आवेदक

बनाम

1–बालमुकन्द पुत्र नत्थी सिह

2–उदयभान सिंह पुत्र नत्थी सिंह

जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना ....अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 27/07/2016

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय अम्बाह के

प्र0क0 10/15–16× अ/27 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना में स्थित खाता क0 523 सर्वे क0 1393 रकवा 0.18, सर्वे क0 1618 रकवा 0.09, सर्वे क0 1619 रकवा 0.10, सर्वे क0 1620 रकवा 0.18, सर्वे क0 1621 रकवा 0.50, सर्वे क0 1622 रकवा 0.20, सर्वे क0 1623 रकवा 0.34, कुल किता 7 कुल रकवा 1.59, के आवेदक व अनावेदक समान भाग के भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है एवं खाता क0 127 सर्वे क0 1164 रकवा 0.16, के आवेदक व अनावेदक के साथ कलावती पत्नी नत्थी सिंह सह स्वामी होकर आधिपत्यधारी होकर पटवारी कागजात में अंकित है।

2– यह कि अनावेदक क0 1 द्वारा उक्त खातों का बटबारा हेतु आवेदन पत्र तहसील दार महोदय अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत किया ,जो प्र0क0 10/15–16× अ/27 पर पंजीबद्व किया गया।

3– यह कि आवेदक द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि धारा 17832 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत खाते का बटबारा किया जाता है। खातों का नहीं। तथा यह भी आपत्ति की कि दोनों खातों में भिन्न पक्षकार होने से पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। आवेदक का आवेदन प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को पारित आदेश दिनांक 27/7/2016 द्वारा अवैध व मनमाने आधार पर निरस्त कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण क्रमांक 2622–एक/2016 निगरानी **जिला मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''कों अ के हस्ताक्षर
5–8–16	यह निगरानी तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/2015–16 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27–7–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता एंव प्रचनलशीलता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/2015–16 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27–7–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार के समक्ष ग्राम जौहा के खाता क्रमांक 523 पर धारित कुल किता 7 कुल रकबा 1.59 हैक्टर भूमि एंव खाता क्रमांक 127 पर धारित 0.16 हैक्टर भूमि के बटवारे का प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रचलित है, जिसमें आपत्ति आने पर तहसीलदार अम्बाह ने आपत्ति आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आपत्ति अमान्य करते हुये हलका पटवारी को फर्द तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया है । इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, तहसीलदार के आदेश के पालन में हलका पटवारी ने फर्द भी तैयार कर प्रस्तुत कर दी है। यदि आवेदक को फर्द पर आपत्ति है वह तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने एंव अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 10/2015–16 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 27–7–2016 में हस्तक्षेप का औचत्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	